प्रेस नोट थाना रोजा

जनपद- शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक- 13.01.2026

"जनपदीय SOG, सर्विलांस सेल टीम व थाना रोजा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा जीएसटी की बोगस फर्म बनाकर 10 करोड़ 77 लाख रुपयें की कर चोरी करनें वालें गिरोह में से वांछित चल रहें 02 नफर अभियुक्त को भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज़ के साथ किया गया गिरफ्तार"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व चिन्हित किये गये अपराधियों/ वांछित/ वारण्टी व रोकथाम मादक पदार्थ/अवैध शराब शस्त्र, बिक्री- निर्माण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी अपराध के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी गैंगस्टर सेल जनपद शाहजहांपुर के कुशल नेतृत्व में जनपदीय SOG, सर्विलांस सेल व थाना रोजा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा बोगस जीएसटी फर्म बनाकर 10 करोड़ 77 लाख रुपयें की कर चोरी कर व्यापारियों को I.T.C. का लाभ पहुंचाने वालें गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया । गिरोह सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों को लोन दिलाने का प्रलोभन देकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल आदि प्राप्त करता था तथा इनके आधार पर फर्जी हस्ताक्षर कर कूटरचित रेंट एग्रीमेंट तैयार कर बोगस जीएसटी फर्म बनाता था तथा इन फर्मों के नाम से बैंको में करंट खाते खुलवाकर बड़े पैमाने पर धनराशि का फर्जी लेन-देन कराकर टैक्स चोरी कराता था ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 28/05/2025 को वादी मुकदमा श्री भावना चन्द्रा सहायक आयुक्त राज्य कर द्वारा थाना रोजा पर फर्जी जीएसटीम फर्म बनाकर जीएसटी चोरी कर राजस्व क्षति पहुंचानें वालें व्यक्तियों के विरूद्ध थाना रोजा पर मु0अ0सं0 313/2025, धारा 318(2)/318(4)/336(3)/338/340(2) BNS एवं 132 GST ACT पंजीकृत कराया । प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एंव विवचेना का गुणवत्तापरक व यथाशीघ्र निष्पक्ष विधिक निस्तारण कराए जानें हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया तथा विवचेना निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह प्रभारी गैंगस्टर सेल के सुपुर्द की गई। विवेचना के क्रम में दिनांक 13.01.2026 को जनपदीय SOG, गैगस्टर सेल प्रभारी , सर्विलांस सेल व थाना रोजा की संयुक्त पुलिस टीम तलाश वांछित अभियुक्त की पतारसी सुरागरसी व गिरफ्तारी हेतु हथौड़ा चौराहे पर मामूर थी, तभी मुखबिर की सूचना बोगस जीएसटी फर्म बनाने वाला गिरोह के कुछ सदस्य काले रंग की महिन्द्रा थार कार से दिल्ली की ओर से आने वाले हैं तथा अपने वकील से मिलने वाले हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने हथौड़ा से हाईवे पर मेजवान पुल से पहले घेराबंदी कर काली महिन्द्रा कार संख्या UP70GR0101 को रोककर उसमें सवार दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जिसकी तलाशी से भारी मात्रा में कूटरचित प्रपत्र, महंगी कार व मोबाईल फोन बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त लोगों को लोन दिलानें के लिए सोशल मीडिया पर विज्ञापन निकालते थे तथा धोखा देकर लोगों से उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड , बिजली का बिल प्राप्त कर फर्जी रेन्ट एग्रीमेंन्ट तैयार कर बोगस जीएसटी फर्म तैयार करके फर्म के नाम से बैंक अकाउंट खुलवाकर व्यापारियों को जीएसटी चोरी करके लाभ पहुंचातें थे तथा मोटा कमीशन प्राप्त करतें थे। जिनसें अपनें शौक पूरा करते थे ।गिरफ्तार अभियुक्तगण 1.संजीव गुप्ता पुत्र रामदास निवासी मो० भूपेन्द्र सिंह नगर टिपरा रोड़ गली न0-4 थाना मोदी नगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष 2.वरूण शर्मा उर्फ गोलू पुत्र राम बरन शर्मा निवासी पूरे सिब्बा पुरब गांव थाना गौरीजंग जिला अमेठी उम्र करीब 23 वर्ष को समय 13.58 बजे पर हथौड़ा से हाईवे पर मेजवान पुल से पहले थाना रोजा से सम्बन्धित मु0अ0सं0 313/2025,धारा 318(2)/318(4)/336(3)/338/340(2) BNS एवं 132 GST ACT में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/बरामदगी के आधार अभियुक्तों को न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने की विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. संजीव गुप्ता पुत्र रामदास निवासी मो० भूपेन्द्र सिंह नगर टिपरा रोड़ गली न0-4 थाना मोदी नगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष
2. वरूण शर्मा उर्फ गोलू पुत्र राम बरन शर्मा निवासी पूरे सिब्बा पुरब गांव थाना गौरीजंग जिला अमेठी उम्र करीब 23 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:-

- **मु0अ0सं0 313/2025,धारा 318(2)/318(4)/336(3)/338/340(2) BNS एवं 132 GST ACT** थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी का स्थान व समय:-

- दि0 13.01.2026 समय 13.58 बजे , हथौड़ा से हाईवे पर मेजवान पुल से पहले ।

अपराध का तरीका:- अभियुक्त संजीव गुप्ता ने बताया कि मेरी मुलाकात वर्ष 2022 में गौरव यादव से हुई थी मैंने तब गौरव यादव के कहने पर वरूण शर्मा, प्रिन्स शर्मा, आकाश के यस बैंक पीतमपुरा दिल्ली में करेंट खाता खोले थे, जो ओवर लिमिट के कारण बन्द हो गये थे। गौरव यादव के यहाँ ही मेरी मुलाकात सिद्वार्थ पाण्डेय से हुई थी। सिद्वार्थ पाण्डेय, गौरव यादव अपने साथियों के मिलकर फर्जी / बोगस जी०एस०टी० फर्म बनाते है। सिद्वार्थ पाण्डेय व गौरव यादव ने मुझे बताये कि हमारे पास फर्जी जी०एस०टी० फर्म है। आपके पास बैंक में ग्राहक आते है आप हमसे फर्जी फर्म लेकर जिस ग्राहक को आवश्यकता हो उसे दे सकते हो मैने सिद्वार्थ पाण्डेय व गौरव यादव से करीब 90 फर्जी /बोगस फर्म ली है, जिसके बदले में 23-23 हजार रूपया नगद देता था तथा इन फर्जी फर्मों को आगे ग्राहको बेच देता था। मेरे फोन से डाटा बरामद हुआ है, वह इन्ही फर्जी / बोगस फर्मों का है। अभियुक्त वरूण शर्मा ने बातया कि मैं गौरव यादव के यहाँ काम करता हूँ गौरव यादव मेरे व अन्य साथियो के करेन्ट खाता बैंक में खुलवाता है तथा उन खाता को खुद ही संचालित करता है व स्वयं खातो से लेन देन करता है। गौरव यादव जी०एस०टी० की फर्जी / बोगस फर्मों को बनाता है। हम आज जी०एस०टी० ऑफिस शाहजहाँपुर आ रहे थे कि आप ने हमे पकड़ लिया।

बरामदगी का विवरण:-

1. 90 फर्जी / बोगस जी०एस०टी० फर्म की फर्जी कागजात
2. काली महिन्द्रा कार संख्या UP70GR0101
3. 1 फोन ओपो सफेद कलर व 1 फोन एप्पल-13 सफेद कलर व 620/-रू0 नगद

गिरफ्तार करने वाली थाना रोजा/SOG/सर्विलांस पुलिस टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर
2. निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह प्रभारी गैगंस्टर सेल जनपद शाहजहांपुर
3. निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार प्रभारी एस0ओ0जी0 जनपद शाहजहांपुर मय टीम
4. उ0नि0 श्री मनोज कुमार प्रभारी सर्विलांस सेल जनपद शाहजहांपुर मय टीम
5. उ0नि0 श्री जगत सिंह गैंगस्टर सेल शाहजहांपुर ।
6. उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना रोजा शाहजहांपुर
7. हे0का0 710 दीपक कुमार थाना रोजा शाहजहांपुर
8. हे0का0 672 विनोद कुमार थाना रोजा,शाहजहांपुर ।
9. हे0का0 त्रिलोकीनाथ गैंगस्टर सेल शाहजहांपुर ।